

**भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड**  
**CONTAINER CORPORATION OF INDIA LIMITED**

**आचार संहिता**

**बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों  
के लिये**

**30.07.2014**

**भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड**  
**CONTAINER CORPORATION OF INDIA LIMITED**

**बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों के लिए**  
**आचार संहिता**

**1. परिचय**

- 1.1 यह ("संहिता") भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड के" बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों हेतु व्यवसाय के लिए आचार और नैतिक संहिता" है। यह आचार संहिता भारतीय कंटेनर लिमिटेड( कॉनकोर ) जिसे आगे कंपनी संदर्भित किया गया है, इसके बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों हेतु आचार संहिता है। इस संहिता को बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों की आचार संहिता कहा जाएगा ।।
- 1.2 इस संहिता के को मिशन और उद्देश्य की कंपनी के बयान के साथ संरेखण में है और कंपनी मामलों के प्रबंधन में नैतिक और पारदर्शी प्रक्रिया में वृद्धि करना है।
- 1.3 इस संहिता के तहत कवर मामले निगम , हितधारकों और व्यावसायिक भागीदारों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा ये निगम के कथित व्यवसायिक मूल्यों के लिए अभिवाश्यक हैं ।
- 1.4 डीपीई के दिशा-निर्देशों के अनुसार स्टॉक एक्सचेंजों के साथ किए गए समझौतों लिस्टिंग की धारा 49 के प्रावधानों के अनुसरण में यह आचार संहिता निर्धारित की गई है। । पूर्णकालिक निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों के संबंध में, इस संहिता, कॉनकोर आचरण नियम, 1993 और उससे किसी भी संशोधन के साथ संयोजन के रूप में पढ़ा जा सकता है ।
- 1.5 यह संहिता दिनांक 30.07.2014 से लागू होगी

**2. परिभाषा और व्याख्या**

इस संहिता में, जब तक अर्थ या उसके संदर्भ के प्रतिकूल ना हो तो उसका अर्थ निम्न भाव में होगा;

- 2.1 शब्द "बोर्ड / निदेशक मंडल" का अर्थ कंपनी के निदेशक मंडल से होगा।
- 2.2 शब्द "बोर्ड के सदस्य" का अर्थ कंपनी के निदेशक मंडल के सदस्यों से है।
- 2.3 शब्द "पूर्णकालिक निदेशकों" का अर्थ बोर्ड के वे सदस्य जो कंपनी के पूर्णकालिक सदस्य हैं
- 2.4 शब्द "अकार्यात्मक निदेशक" बोर्ड के सदस्य जो अंशकालिक निदेशक (सरकार द्वारा नामित निदेशक सहित स्वतंत्र निदेशक हैं और कंपनी के लिए पूर्ण कालिक सदस्या नहीं है।
- 2.5 स्वतंत्र निदेशक का अर्थ गैर कार्यकारी निदेशक , जो कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानानुसार और समय-समय पर संशोधित लिस्टिंग एग्जीमेंट के अनुसार स्वतंत्र निदेशक है
- 2.6 "वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों" का तात्पर्य कंपनी के कर्मचारियों , जो निदेशक मंडल को छोड़कर अपनी कोर प्रबंधन दल के सदस्य हैं जैसे सभी कार्यपालक निदेशक, मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) , मुख्य महाप्रबंधक (CGMS), क्षेत्रीय महाप्रबंधकों शामिल होगा (RGMs) समूह महाप्रबंधक (GGMs)।
- 2.7 शब्द "सापेक्ष" का अर्थ है 'रिश्तेदार' के रूप में के तहत (संदर्भ लें परिशिष्ट I) बनाए गए कंपनी अधिनियम , 2013 और नियम की धारा 2 (77) में परिभाषित किया।
- 2.8 शब्द "संबंधित पार्टी" का मतलब कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 (76) की तहत कानून में परिभाषित किया गया है ।
- 2.9 अवधि "हित के संघर्ष" का अर्थ है , जहां एक व्यक्ति के हित में हस्तक्षेप या एक पूरे के रूप में कंपनी के हितों के साथ हस्तक्षेप करने के लिए प्रकट होता है।

2.10 अवधि "अनुपालन अधिकारी" का अर्थ कंपनी सचिव से है जो कंपनी के निदेशक मंडल की देखरेख में अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के लिए रिपोर्टिंग करता है।

### 3. प्रयोज्यता

यह संहिता निम्नलिखित व्यक्तियों पर लागू होगी:

ए) कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सहित सभी पूर्णकालिक निदेशक।

ख) सभी गैर कार्यकारी निदेशक (सरकार द्वारा नामित निदेशक सहित स्वतंत्र निदेशक ) जब तक कि विशेष रूप से इस संहिता के कुछ प्रावधानों से छूट दी गई है।

सी) इस संहिता की धारा 2.6 में वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों की परिभाषा है।

### 4. महत्वपूर्ण आवश्यकताओं

नैतिक आचरण व्यवसाय के लिए महत्वपूर्ण है। तदनुसार, बोर्ड के सदस्य और निगम के वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक दैनिकी गतिविधियों के लिए पढ़ और समझ सकते हैं। कंपनी के उद्देश्यों और अपने बुनियादी मूल्यों को ध्यामन में रखते हुए हैं, बोर्ड के सदस्य / वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक से उम्मीद है कि मिशन के लिए स्पष्ट प्रतिबद्धता के अनुरूप निम्नल कार्य करेंगे।

(i) नेक नियत से कंपनी और शेयर धारको क हित मे अत्यंत सावधानी, कौशल और साथ परिश्रम करते हुए अपनी सभी गतिविधियों और व्यवहार में ईमानदारी के उच्च मानकों को बनाए रखेंगे।

(ii) धोखाधड़ी और बेईमानी से परे पेशेवर मानकों की अपनाकर नैतिक रूप में कार्य करेगा, न्याय की अपनी स्वतंत्रता से समझौता किए बिना दायित्वों को पूरा करेगा।

(iii) एक पेशेवर , विनम्र और सम्मानजनक ढंग से आचरण करे और अपनी आधिकारिक स्थिति का अनुचित लाभ ना ले

(iv) संचार और कंपनी के अन्य नीतियों का अनुपालन करे

(v) नेक नियत, उचित देखभाल, योग्यता, परिश्रम और जिम्मेदारी के साथ बिना दबाव के अच्छा कार्य करे

(vi) कंपनी के सर्वोत्तम हित में अपने कार्य और दायित्वों का पूरा करे।

(vii) कार्यों में इमानदारी, नैतिकता और सत्यनिष्ठा हो।

(viii) व्यक्तिगत लाभ के लिए कंपनी की स्थिति/ संपत्ति का उपयोग न करें।

(ix) निदेशक के रूप में प्राप्त जानकारी या अवसर का उपयोग ना करे जिससे कंपनी के हित प्रभावित हो।

(x) किसी भी ऐसे विषय में संलग्न नही हो जिससे लिए गए निर्णय में एक संघर्ष पैदा हो या पैदा होने की संभावना है।

(xi) ऐसे मामले का प्रकटीकरण बोर्ड को (अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को (वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों के मामले में) को किया जाएगा जहां बड़े पैमाने पर कंपनी के हित प्रभावित हो या संभावित हो। या व्यक्तिगत हित रहें हो।

(xii) कंपनी अधिनियम 2013 तथा लिस्टिंग एग्रीमेंट, डीपीई दिशा निर्देशों और इसी तरह के कंपनी पर लागू अन्य विनियमन के अनुसार प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बगैर पद की हैसियत से किसी भी संबंधित पार्टी से संलग्न नही होगा

(xiii) कंपनी से संबंधित निजी और / या वित्तीय हित होने से बचाया जाएगा

(xiv) किसी ठेकेदार या आपूर्तिकर्ता से एक एक पेशेवर, निष्पक्ष और प्रतियोगी के आधार पर व्यीवासाय करेगा और बोर्ड के सदस्य / वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक / कंपनी द्वारा विवेकाधीन निर्णय को प्रभावित करने सकने वाले काम से बचाएगा।

(xv) कंपनी के हितों के विपरीत किसी भी स्थिति में नौकरी या बाहर में कोई पद हासिल नही करेगा।

(XVI) अपने स्वयं के व्यक्तिगत लाभ, अवसर जो कि कॉर्पोरेट संपत्ति, जानकारी या स्थिति के उपयोग के माध्यम से उनका दुरुपयोग नही करेगा। ऐसी स्थिति में उसे कंपनी क निदेशक मंडल से लिखित रूप में अनुमति लेनी होगी।

XVII) ऐसा कोई बयान नहीं दिया जाएगा जिससे नीति या सरकार या कंपनी की आलोचना हो या हितधारकों सहित जनता के बीच संबंध प्रभावित हो।

परंतु इस खंड में बोर्ड सदस्य / वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक द्वारा विशुद्ध रूप से तथ्यात्मक दिया बयान पर लागू नहीं होगा जो आधिकारिक क्षमता में या सौंपे गए कर्तव्यों के कार दिया गया हो और गोपनीय न हो।

Xviii) कंपनी एक सामाजिक रूप से जिम्मेदार तरीके से में लागू कानूनों, नियमों के भीतर कार्य करेगी और उन नियमों, सीमा शुल्क और उस देश की परंपराओं के अनुसार कार्य जिसमें वह संचालन करती है।

(xix) उच्च नैतिक मानकों का पालन करेगे और नैतिक अधमता की किसी भी घटना चाहे व्यक्तिगत हो अथवा व्यवसायिक संबंधों में शामिल नहीं होंगे।

(xx) कंपनी की प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए कार्य करेंगे।

(xxi) जब तक अधिकृत या कानूनी रूप से जानकारी का खुलासा करना जरूरी ना हो तब तक कंपनी ने अपनी सेवा के दौरान अर्जित गोपनीयता को बनाए रखा जाएं।

(xxii) बोर्ड और कंपनी के साथ जुड़े अन्य व्यक्तियों को सम्मान, गरिमा, निष्पक्षता और शिष्टाचार के साथ व्यवहार करें

(xxiii) ऐसी किसी चर्चा या मतदान में हिस्सा ना ले जो बोर्ड के समक्ष निर्णय को प्रभावित हो और हितों में संघर्ष की संभावना हों।

(xxiv) किसी भी धोखाधड़ी के कार्य करने के लिए, या ग्राहकों या विक्रेताओं से, सलाहाकार से कोई पैसा, उपहार सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से ना ले और न ही कोई ऐसा कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध हो।

(xxv) अपनी सेवा के दौरान प्राप्त किसी भी गोपनीय जानकारी का प्रयोग अपने व्यक्तिगत लाभ अथवा किसी अन्य संस्था के लाभ के लिए नहीं करेगा।

(xxvi) उच्च नैतिक मानकों को बनाने में मदद करें और संस्कृति को बनाए रखने के मानको अनुपालन करें।

(xxii) कंपनी के लिए महत्वपूर्ण कोई भी जानकारी जो निर्णय लेने से संबंधित हो, बोर्ड के सदस्योप कोउचित समय पर ढंग से सूचित रखें

## 5. कोड की सामग्री

भाग-1 सामान्यसैतिक अनिवार्यता

भाग II विशिष्ट व्यावसायिक जिम्मेदारियों

भाग III बोर्ड के सदस्य और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों हेतु विशिष्ट प्रावधान

पेशेवर काम के संचालन के लिए नैतिक निर्णय हेतु एक आधार के रूप में सेवा करना ही इस कोड का तात्पर्य है। व्य वसाय में नैतिकमानकों के उल्लंघन संबंधित एक औपचारिक शिकायत को सुलझातने में मदद मिल सकती है।

यह मान लिया गया है कि नैतिकता और आचरण के कोड के दस्तावेज में प्रयुक्तम कुछ शब्द एवं वाक्यांश अलग-अलग व्याख्याओं के अधीन हैं। किसी भी विवाद के मामले में बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा।

## भाग - I

### सामान्ये नैतिक अनिवार्यता

#### 1. समाज और मानव कल्या ण में योगदान

1.1 सभी लोगों के जीवन की गुणवत्ता , मानव अधिकारों की रक्षा और सभी संस्कृतियों की विविधता का सम्मान करने की पुष्टि यह सिदांत करता है। हमें यह सुनिश्चित करने का प्रयास करना है कि सेवाओं का प्रयोग सामाजिक रूप से हो जिससे सामाजिक जरूरते पूरी हो तथा स्वास्थ्य हानिकारक प्रभाव से बचा रहें। सुरक्षित सामाजिक वातावरण मे मानव कल्यावण सहितअच्छी तरह से किया जा रहा है एक सुरक्षित प्राकृतिक वातावरण भी शामिल है।

1.2 इसलिए, सभी बोर्ड के सदस्य और वरिष्ठ प्रबंधन जो कंपनी के उत्पादों / सेवाओं के डिजाइन, विकास, वितरण और संवर्धन के लिए जवाबदेह हैं, वें जीवन और

पर्यावरण के संरक्षण के लिए दूसरो को जागरूक करने की भी उनकी नैतिक जिम्मेदारी होनी चाहिए।

## 2. ईमानदार और भरोसेमंद एवं कर्तव्यनिष्ठे

- 2.1 निष्ठा और ईमानदारी ही विश्वास का आवश्यक घटक हैं। विश्वास के बिना एक संगठन के प्रभावी ढंग से कार्य नहीं कर सकता।
- 2.2 बोर्ड के सभी सदस्यो और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक से आशा कि जाती है कि वो निजी और पेशेवर जीवन में निष्ठा, ईमानदारी और नैतिक आचरण में उन उच्चतम मानकों का पालन करे जो सार्वजनिक उपक्रम के व्यापार संचालन मे की जाती है। उम्मीद कर रहे हैं।

## 3. निष्पक्ष और भेदभाव रहित कार्रवाई करें

- 3.1 समानता, सहिष्णुता, दूसरों के प्रति सम्मान के मूल्यों, और न्याय ही इस सिदांत की अनिवार्यता है। जाति, लिंग, धर्म, उम्र, विकलांगता, राष्ट्रीय मूल या अन्य ऐसे कारकों के आधार पर किया कार्रू इस संहिता का एक स्पष्ट उल्लंघन है।

## 4. गोपनीयता का सम्माइन

4.1 ईमानदारी का सिद्धांत जानकारी की गोपनीयता तक है। कानून या इस संहिता के अन्य सिद्धांतों की आवश्यकताओं के अनुरूप दायित्वों से मुक्तिग नैतिक चिंता का विषय है, सभी हितधारकों के लिए गोपनीयता के सभी दायित्वों का सम्मान हो

4.2 बोर्ड के सदस्य और वरिष्ठ प्रबंधन, व्यापार और कंपनी के सभी मामलों के बारे में अप्रकाशित जानकारी की गोपनीयता बनाए रखने के लिए करेगे

## 5. शपथ और अभ्यास

5.1 ईमानदारी और पारदर्शिता लाने के लिए सभी क्षेत्रों में लगातार प्रयास करते रहें

5.2 जीवन के सभी क्षेत्रों में भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिए unstintingly काम करते हैं।



- 5.3 सतर्क रहने और विकास और कंपनी की प्रतिष्ठा की दिशा में काम करते
- 5.4 संगठन में गौरव लाने और कंपनी के शेयरधारकों के लिए मूल्य-आधारित सेवाएं प्रदान करते हैं।
- 5.5 धर्म और भय अथवा पक्षपात के बिना झूठी करते हैं।

## भाग II

### विशिष्ट व्यावसायिक जिम्मेदारियां

1. प्रत्येक दिन - कॉन्कॉर के विजन, मिशन के लिए जिएं प्रत्येक दिन भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड के, मिशन और और मूल्यों के लिए जिएं
2. प्रक्रियाओं और पेशेवर काम के उत्पाद दोनों में उच्चतम गुणवत्ता, प्रभावशीलता और गरिमा प्राप्त करने का प्रयास:

उत्कृष्टता पेशेवर लिए सबसे महत्वपूर्ण दायित्व है। हर किसी को अपने पेशे में उच्चतम गुणवत्ता, प्रभावशीलता और गरिमा को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए

3. पेशेवर क्षमता को बनाए रखे

उत्कृष्टता प्राप्त करने और उसे बनाए रखने की जिम्मेदारी व्यक्ति पर निर्भर है। अतः सभी से उम्मीद है कि क्षमता के उचित स्तर पर मानकों की स्थापना हेतु प्रयास करें ।

4. कानूनों का अनुपालन

बोर्ड के सदस्य और वरिष्ठ प्रबंधन कंपनी पर लागू सभी मौजूदा स्थानीय, राज्य, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कानूनी प्रावधानों एवं का अनुपालन करे तथा कंपनी के व्यापार से संबंधित नीतियों, प्रक्रियाओं, नियमों और विनियमों का पालन करना चाहिए। लिस्टिंग समझौते, डीपीई दिशा निर्देशों, कंपनी के लिए लागू प्रासंगिक कानूनों, का अनुपालन बोर्ड के सदस्य और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक करे तथा त्रैमासिक रिपोर्ट, संचलन संकल्प, कानून,

बैठक की कार्यसूची, त्रैमासिक रिपोर्ट आदि तैयार की जाएं।

#### **5. उपयुक्त पेशेवर समीक्षा स्वीकारना और उपलब्ध कराना**

गुणवत्ता की निर्भरता पेशेवर समीक्षा और टिप्पणियों पर निर्भर करती है। जब कभी जरूरत हो तो व्यक्तिगत रूप से कर्मचारी के किए गए कार्य की समीक्षा करे और उसकी उपयोगिता ले।

#### **6. जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए कर्मियों और संसाधनों का प्रबंधन**

संगठन के मुखिया यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार हैं कि कर्मचारी से श्रेष्ठ लेने के लिए अनुकूल और कारोबारी माहौल बनाया जाए। बोर्ड के सदस्य और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगा कि सभी कर्मचारियों के मानव गरिमा, प्रोत्साहित करने और पेशेवर समर्थन करेगी कंपनी के कर्मचारियों में विकास सहायता और सहयोग, करे ताकि उनकी गुणवत्ता को बढ़े

#### **7. ईमानदार रहे और किसी भी प्रलोभन से बचें रहें**

बोर्ड के सदस्य और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक, व्यापार को प्रभावित करने के लिए किसी एजेंसी के लिए कार्य नहीं करेगा। प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप किसी एजेंसी आदि को ठेका देने के एवज में पारिश्रमिक आदि परिवार अन्य कनेक्शन, किसी भी व्यक्तिगत फीस, कमीशन या अन्य रूपह उपहार या लेनदेन से दूर रहेगा।

#### **8. कॉर्पोरेट अनुशासन का पालन करे**

कंपनी के भीतर संप्रेषण प्रवाह कठोर नहीं है और सभी स्तरों पर लोग इस के लिए स्वतंत्र हैं। एक निर्णय पर पहुंचने के लिए स्वतंत्र होकर अपनी राय व्यक्त की जाती है लेकिन बहस खत्म होने के बाद पॉलिंसी बनाई जाती है और इसका पालन सबको करना पड़ता है चाहे व्यक्तिसंगत रूप से कोई इससे सहमत हो या ना हो। कुछ मामलों में नीतियों मार्गदर्शक की तरह होती है तो कुछ मामलों में ये कार्रवाई को रोकने के लिए होती है। सबको यह मालूम हो कि नीतियों में अंतर क्याक होता है और इनका पालन करना क्यों आवश्यक है।

## 9. आचरण इस तरह से करे जिससे की कंपनी की शाखा

सभी से ये उम्मीद की जाती है कि वो ड्यूटी के दौरान अथवा ऑफ ड्यूटी में इस तरह से व्यवहार करे कि कंपनी की शाखा बढें। व्यक्तिगत दृष्टिकोण और व्यवहार से ही कंपनी के अंदर तथा बडे पैमाने पर जनता के अंदर कंपनी की शाखा बनती है।

## 10. कंपनी के शेयरधारकों के प्रति जवाबदेह होना

ग्राहक जिसके लिए कार्य करते है इनके बिना हम कंपनी का व्यापार नहीं होगा। , शेयरधारकों, इनका कारोबार में एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, कर्मचारियों, जिसके ये सब करने में अपने हित है, विक्रेता- जो समय पर डिलीवरी करने में कंपनी की सहायता करता है।, समाज- जिसके प्रति कंपनी अपने कार्य के लिए जिम्मेदार है, कंपनी के हितधारकों रहे हैं। अतः सभी को हर समय ध्यान में रखना चाहिए वे कंपनी के शेयरधारकों के प्रति जवाबदेह हैं।

### 1 1. व्यापार जोखिम का प्रबंधन , जोखिम पहचान कर उसे कम करे

हर किसी की जिम्मेदारी है कि वो जोखिम प्रबंधन ढांचे का पालन करे और जोखिम की पहचान करे। कंपनी के क्षेत्र और परिचालन एरिया के चारो ओर जोखिम का प्रबंधन करे जिससे कि जोखिम के प्रबंधन व्यापक प्रक्रिया में सहायता मिले और कंपनी व्यापार के व्यापार के व्यापक लक्ष्यों को प्राप्त कर सके।

### 1 2. कंपनी की संपत्ति की रक्षा

बोर्ड के सदस्य और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक कंपनी की भौतिक संपत्ति सहित संपत्तियों, बौद्धिक अधिकारों, जानकारियों की रक्षा करेगें तथा इनका उपयोग व्यसक्तिगत लाभ के लिए नहीं करेगें।

## भाग - III

बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों के लिए विशेष अतिरिक्त प्रावधान

### 1. बोर्ड के सदस्य और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों के रूप में

बोर्ड की बैठकों और समितियों में जिसमे वे कार्य कर रहे है, उनमें सक्रीय रूप से भाग लेगें।

## 2. बोर्ड के सदस्य के रूप में

2.1 उनके बोर्ड की स्थिति में किसी भी परिवर्तन व्यावसायिक संबंधों/ घटनाओं/परिस्थितियों/ बोर्ड/ बोर्ड समिति कार्यों को बोर्ड समिति कर्तव्यों का पालन करने के लिए या प्रभाव हो सकता है या हस्तक्षेप कर सकते हैं, लागू डीपीई के दिशा-निर्देश लिस्टिंग स्टॉक एक्सचेंज के बारे में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को जानकारी देंगे।

2.2 बोर्ड के अन्य सदस्यों के पूर्व अनुमोदन के बिना, वे आपसी हितों के टकराव से बचेंगे। जब व्यक्तिगत हित होंगे तो कंपनी के हित प्रभावित हो सकते हैं।

## 3. स्वतंत्र निदेशक के रूप में

कंपनी अधिनियम, 2013 और लिस्टिंग स्टॉक एक्सचेंज एस, डीपीई / सरकार के साथ समझौते तथा अन्य सांविधिक / नियमन का समय-समय पर यथासंशोधित नियमों के अनुसार स्वतंत्र निदेशकों के कर्तव्यतके आचार संहिता के परिशिष्ट II के अनुसार होंगे जिनका पालन किया जाएगा।

## 6. अन्य निदेशक

जब तक विशेष रूप से बोर्ड / अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों के मामले में) , द्वारा अनुमति बोर्ड के सदस्य / वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक किसी अन्य कंपनी के निदेशक के रूप में या उस एक फर्म में सहभागी है जो कि कंपनी के साथ व्यवसाय प्रतिस्पर्धी है अथवा जिसके साथ कंपनी के व्यवसायिक संबंध है, में निदेशक के रूप में कार्य नहीं करेगा। । यह खंड *पदेन* सरकार नामित निदेशकों पर लागू नहीं है।

वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक किसी अन्य कंपनी या एक फर्म की भागीदारी के निदेशक के रूप में स्वीकार करने के लिए कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पूर्व अनुमोदन लिया जाएगा।

वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक किसी भी भारतीय या विदेशी कंपनी या संयुक्त उद्यम कंपनियों कॉनकोर और (में निहित से व्यापार (दूसरे की प्रतिस्पर्धात्मक प्रकृति होने सहायक कंपनियों कॉनकोर) या जिसके साथ

कंपनी का संयुक्त उद्यम कंपनियों कॉनकोर और (में निहित से व्यापार (दूसरे की प्रतिस्पर्धात्मक प्रकृति होने ) सहायक कंपनियों कॉनकोर) या जिसके साथ कंपनी प्रबंधन नियंत्रण कार्य कर रही है, में कोई भी पद या पोस्ट, चाहे सलाहकार या प्रशासनिक हो के पद को कॉनकोर से सेवा निवृत्ति अथवा इस्तीफे के 2 साल अंदर अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के अनुमोदन उपरांत ही स्वीकार करेगा।

## 7. इनसाइडर ट्रेडिंग की रोकथाम

बोर्ड के सदस्य / वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक कॉनकोर के इनसाइडर ट्रेडिंग नियम, 2002 और समय समय पर संशोधित नियमों का अनुपालन कंपनी की प्रतिभूतियों हेतु इनसाइडर ट्रेडिंग की रोकथाम के लिए करेगा।

## 8. कॉर्पोरेट प्रकटीकरण

कॉर्पोरेट प्रकटीकरण आचरण संहिता "अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील सूचना" के प्रकटीकरण को नियंत्रित करता है। अनुपालन अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि कंपनी का निरंतर प्रकटीकरण स्टॉक एक्सचेंज, विश्लेषक मिडिया, प्रेस विज्ञप्ति की ड्राफ्टिंग सहित एज्यूकेटिंग स्टॉफ की प्रकटीकरण की नीतियां एवं प्रक्रियां, लिखित जानकारी एज्यूकेटिंग स्टॉफ कंपनी की वेब साइट पर अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / निदेशक (वित्त) के अनुमोदन से ही जारी किए जाएं। विश्लेषकों / अनुसंधान व्यक्तियों और संस्थागत निवेशकों के लिए कंपनी की प्रतिभूतियों से संबंधित किसी भी जानकारी का खुलासा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / निदेशक (वित्त) या उन के द्वारा अधिकृत व्यक्ति को छोड़कर कोई भी व्यक्ति, नहीं करेगा। बोर्ड के सदस्य / वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक कॉर्पोरेट प्रकटीकरण आचरण संहिता का अनुपालन करेंगे।

## 9. संबंधित पार्टी प्रकटीकरण

बोर्ड के सदस्य / वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक संबंधित पक्ष के लेनदेन का प्रकटीकरण (परिशिष्ट III) में दिए गए निर्धारित फॉर्म में किया जाएगा।

## 10. जानकारी की गोपनीयता

कंपनी में प्रचलित कॉर्पोरेट प्रकटीकरण आचरण संहिता के अधीन रहते हुए कंपनी के व्यवसाय, ग्राहकों, आपूर्तिकर्ताओं, आदि से संबंधित कोई भी जानकारी जो बोर्ड के सदस्य / वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों तक है, गोपनीय माना जाता है। बोर्ड का कोई सदस्य / वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक किसी भी जानकारी को प्रेस या किसी भी अन्य मीडिया या बाहरी व्यक्ति को औपचारिक या अनौपचारिक रूप से तभी देगा जब उसे विशेष रूप से अधिकृत किया गया हो। बोर्ड सदस्यस / वरिष्ठप्रबंधन कार्मिक परामर्श से / अनुपालन अधिकारी को सूचित करते हुए निम्नय जानकारीयों का प्रकटीकरण कंपनी के निः शुल्क करेंगे:

- (ए) प्रकटीकरण के समय में सार्वजनिक क्षेत्र का हिस्सा; या
- (ख) अधिकृत या बोर्ड या इसके उप-समितियों में से किसी का एक निर्णय के अनुसार खुलासा किया जाना आवश्यक; या
- (सी) कानूनी रूप से अनिवार्य और लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, निर्देश, या निर्देश सरकार से के अनुसार खुलासा किया जाना आवश्यक है।

## 11. संपत्ति की सुरक्षा

बोर्ड के सदस्य / वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक भौतिक संपत्ति, सूचना और बौद्धिक अधिकारों सहित कंपनी की संपत्ति की रक्षा करेगा और व्यक्तिगत लाभ के लिए ही उपयोग नहीं करेगा।

## 12. संहिता हेतु नित्य अपडेशन, स्पष्टीकरण और संशोधन

**क अपडेशन:** इस संहिता के प्रावधानों में संशोधन कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा समय - समय पर किया जा सकता है और यह संशोधन दी गई तिथि से प्रभावी होगा।

**ख स्पष्टीकरण:** बोर्ड या वरिष्ठ प्रबंधन इस आचार संहिता के निदेशक (वित्त) से संपर्क कर सकते हैं के बारे में कोई स्पष्टीकरण की आवश्यकता का कोई भी सदस्य / कंपनी सचिव / किसी भी अधिकारी विशेष निदेशक मंडल द्वारा नामित।

### ग संशोधन:

- i. निगम के निदेशक मंडल द्वारा समय - समय पर संहिता के प्रावधानों में संशोधन किया जा सकता है और ऐसे सभी संशोधन उसमें दी गई तारीख से प्रभावी होंगे।
- ii. इस संहिता के किसी भी प्रावधान में संशोधन के निदेशक मंडल के अनुमोदन से ही किया जाना चाहिए और लागू नियम कानूनों के अनुसार किए गए संशोधन की प्रकृति के बारे में इसका खुलासा विवरण सहित कंपनी की वेबसाइट पर किया जाना चाहिए।

### 13. वेबसाइट पर संहिता

लिस्टिंग एग्रीमेंट के 49 खंड के अनुसरण में , इस संहिता और इसके किसी भी संशोधन को कंपनी की वेबसाइट पर पोस्ट किया जाएगा

### 14. वार्षिक अनुपालन प्रतिवेदन

14.1 प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 30 दिनों के अंदर बोर्ड के सदस्य / वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक इस संहिता के अनुपालन की घोषणा करेंगे। कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा लगी होनी चाहिए । वार्षिक अनुपालन रिपोर्ट का प्रोफार्मा परिशिष्ट IV दिया गया है। वार्षिक अनुपालन रिपोर्ट कंपनी सचिव को भेज दिया जाएगा। किसी भी निदेशक / वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों को एक वित्त वर्ष के दौरान कंपनी किसी भी समय छोड़ देता है , तो वह कॉनकोर के साथ अपने जुड़ाव की तारीख तक संहिता के अनुपालन की पुष्टि की कंपनी सचिव को भेजेगा।

14.2 कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा पूर्ण कालिक वित्त निदेशक या कोई अन्यग व्य क्तिध जोवित्त मामलो का मुखिया रहा है, वह बोर्ड को प्रमाणित करेगा कि उसके ज्ञान और विश्वास के अनुसार कंपनी द्वारा देखते हैं कि बोर्ड को प्रमाणित करेगा कि कंपनी द्वारा वित्त वर्ष के दौरान, धोखाधड़ी अवैध या इस संहिता के उल्लंघन कोई मामला नहीं हुआ है।

## 15. आचार संहिता के प्रवर्तन

बोर्ड के सदस्य / वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक पूरी तरह से इस संहिता के अनुपालन के लिए जवाबदेह है।

## 16. संहिता का अनुपालन न करने पर परिणाम

निगम उस व्यक्ति विशेष के प्रति गोपनीयता बरतेगा तथा उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करेगा जो नेक नियति से कंपनी के अन्याय नियमों, नीतियों का उल्लंघन करने वालों की रिपोर्ट करते हैं या जांच प्रक्रिया में मदद करते हैं।

गैर कार्यकारी निदेशकों द्वारा इस संहिता के उल्लंघन के मामले में, उचित कार्रवाई करने के लिए जो आवश्यक होगा निदेशक मंडल द्वारा विचार किया जाएगा।

पूर्णकालिक निदेशक / वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक, द्वारा इस संहिता के उल्लंघन पर कॉन्कॉर आचार संहिता नियम 1993 और किसी भी संशोधन सहित के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

निगम के हित में इस संहिता के अनुपालन में किसी भी तरह की छूट का निर्णय बोर्ड द्वारा लिया जाएगा।

## 17. संहिता की प्राप्ति की पावती

इस संहिता और इसमें किसी भी संशोधन की प्राप्ति बोर्ड के सभी सदस्य / वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक देंगे। परिशिष्ट V के अनुसार दी गई प्राप्ति में संहिता के पढ़ लेने, समझ लेने और इसके अनुपालन किए जाने की सहमति के साथ कंपनी सचिव के पास भेजा जाएगा।

\*\*\*\*\*



भारत कंटेनर निगम लिमिटेड

बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों  
के लिये  
आचार संहिता

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 (77) के प्रावधानों के अंतर्गत अवधि से संबंधित परिभाषा नियंत्रित की जाएगी और समय-समय पर संशोधित नियम, उसके अंतर्गत बनाए गए। उक्त प्रावधानों में, किसी भी व्यक्ति से संबंधित, जो किसी भी दूसरे व्यक्ति से जुड़ा हो यदि-

(क) वे एक हिंदू अविभाजित परिवार के सदस्य हैं; या

(ख) वे पति और पत्नी हैं; या

(ग) एक व्यक्ति, एक अन्य का रिश्तेदार होना समझा जाएगा। यदि वह निम्नलिखित तरीके से एक दूसरे से संबंधित है: -

- (i) पिता: "पिता" शब्दन में सौतेला पिता भी शामिल है।
- (ii) माँ: "माँ" शब्दन में सौतेली माँ भी शामिल है।
- (iii) बेटा: "बेटा" शब्दन में सौतेला बेटा भी शामिल है।
- (iv) पुत्र की पत्नी।
- (v) बेटी।
- (vi) बेटी का पति।
- (vii) भाई: "भाई" शब्दन में सौतेले भाई भी शामिल हैं
- (viii) बहन: "बहन" शब्द में सौतेली बहन भी शामिल है।

भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड

बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों  
के लिये  
आचार संहिता

स्वतंत्र निदेशकों के कर्तव्य

स्वतंत्र निदेशक करेंगे -

- 1) उचित परिचयात्मक एवं नियमित रूप से अद्यतन तथा उनके कौशल , ज्ञान और कंपनी के साथ कार्य करना।
- 2) कंपनी के खर्च में, जहां आवश्यक हो , वहां उचित स्पष्टीकरण या जानकारी लेना, बाह्य विशेषज्ञों से उचित व्यावसायिक सलाह लेना एवं उसका पालन करना।
- 3) निदेशक मंडल की सभी बैठकों में एवं बोर्ड समितियों जिसके वह सदस्य हैं में भाग लेना।
- 4) बोर्ड की समितियों जिसमें वे अध्यक्ष या सदस्य हैं में सक्रिय रूप से भाग लेना।
- 5) कंपनी की सामान्य बैठकों में भाग लेना।
- 6) जहां तक कंपनी को चलाने की बात है या एक प्रस्तावित कार्यवाई है, यह सुनिश्चित करें कि यह बोर्ड द्वारा संबोधित की गई हो, तथा यह मामला बोर्ड की बैठक के कार्यवृत्ता में दर्ज हो।
- 7) स्वकयं को कंपनी के बारे में एवं बाह्य वातावरण जिसमें यह संचालन करता है अद्यतन रखें
- 8) बोर्ड या बोर्ड समिति के कामकाज में गलत तरीके से या अन्यथा बाधा नहीं डालना ;
- 9) यह सुनिश्चित करना कि संबंधित पक्ष के लेनदेन को अनुमोदन करने से पहले पर्याप्त विचार-विमर्श करना एवं विश्वास दिलाना और पर्याप्त ध्यान देना कि जो कर रहे हैं वह कंपनी के हित में कर रहे हैं।
- 10) यह सुनिश्चित करना कि कंपनी के पास पर्याप्त और कार्यात्मक सतर्कता तंत्र उपलब्ध है तथा यह सुनिश्चित करना कि एक व्यक्ति विशेष जो इस तंत्र का उपयोग करता है इस तरह के हितों के प्रयोग के कारण प्रभावित न हो।
- 11) अनैतिक व्यवहार , वास्तविक या संदिग्ध धोखाधड़ी या कंपनी की आचार संहिता का उल्लंघन या नैतिकता नीति के बारे में रिपोर्ट करना।
- 12) अपने अधिकारों के अंतर्गत कार्य करना , कंपनी के वैध हितों की रक्षा , शेयरधारकों और अपने कर्मचारियों के वैध हितों की रक्षा करने में सहायता।
- 13) गोपनीय जानकारी का खुलासा न करना जिसमें वाणिज्यिक गोपनीयता , प्रौद्योगिकी, विज्ञापन और बिक्री संवर्धन योजनाएं, अप्रकाशित मूल्य संबंधी संवेदनशील जानकारी , जब तक इस तरह के प्रकटीकरण को स्पष्ट रूप से बोर्ड द्वारा मंजूरी दी गई हो या कानूनन आवश्यक हो तथ
- 14) कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत डाला गया अन्यी शुल्की, लिस्टिंग समझौते और डीपीई / अन्य दिशानिर्देशों के रूप में समय -समय पर संशोधित।

भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड

बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों  
के लिए  
आचार संहिता

बोर्ड के सदस्य / वरिष्ठ प्रबंधन कर्मिक उनके आधिकारिक क्षमता में संबंधित पार्टियों से या उनके रिश्तेदारों से लेनदेन के संबंध में निम्नलिखित का प्रकटन करेंगे -

- (i) लेनदेन से संबंधित पार्टी का नाम
- (ii) पार्टियों के बीच संबंधों का वर्णन
- (iii) लेन-देन के स्वरूप का वर्णन
- (iv) लेनदेन की मात्रा के रूप में या उचित अनुपात में राशि के रूप में
- (v) संबंधित पक्ष से लेनदेन के लिए कोई अन्य तत्व/जानकारी जो वित्तीय विवरणों को समझने के लिए आवश्यक हो।

हस्ताक्षर.....

नाम :.....

पदनाम:.....

दिनांक :.....

स्थान:.....

नोट: बोर्ड के सदस्यों द्वारा किए जाने वाले प्रकटन के संबंध में संबंधित पक्ष के लेनदेन संबंधी खुलासे के उदाहरण निम्नर हैं यह सूची पूर्ण उदाहरण नहीं है:

- खरीद या बिक्री या माल की आपूर्ति (तैयार माल या बिना तैयार माल) या सामग्री या किसी भी तरह की संपत्ति
- खरीद या अचल संपत्तियों की बिक्री
- सेवाएं लेना या लेना
- एजेंसी व्यवस्था
- पट्टे या किराया खरीद व्य वस्थाप
- अनुसंधान और विकास का हस्तांतरण
- लाइसेंस समझौतों
- वित्त (नकदी में ऋण और इक्विटी योगदान सहित या इससे संबंधित )
- गारंटी एवं कोलेटरल
- कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति के लिए प्रबंधन संविदा सहित
- कंपनियों में कोई लाभ का पद या जगह के लिए संबंधित पार्टी नियुक्तियां, इसकी सहायक या कंपनी से संबंधित तथा
- कंपनी की किसी भी प्रतिभूति या उससे उत्पन्न किसी की सदस्यता

भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड

बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों  
के लिए  
आचार संहिता

वार्षिक अनुपालन रिपोर्ट \*

मैं.....सत्यनिष्ठा से अपने ज्ञान और विश्वास के अनुसार यह व्यक्तन करता हूँ कि, मैंने 31 मार्च 2015 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों के लिए बनाए गए आचार संहिता के प्रावधानों का पूर्णता पालन किया गया है।

हस्ताक्षर.....

नाम :.....

पदनाम:.....

दिनांक :.....

स्थान:.....

\* प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल तक प्रस्तुत किया जाना है।

भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड

बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों  
के लिए  
आचार संहिता

पावती प्रपत्र

मैंने ..... ..बोर्ड के सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों के लिए 30.07.2014 से प्रभावी कंपनी की आचार संहिता को प्राप्त कर लिया एवं पढ लिया है। मैंने इस संहिता में निहित प्रावधानों और नीतियों को समझ लिया है तथा इस कोड का पालन करने के लिए सहमत हूँ ।

हस्ताक्षर .....

नाम :.....

पदनाम :.....

दिनांक:.....

स्थान :.....